न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –871/2023

अनवान : –

1. सुखराम पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. किशनलाल पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. शंकरलाल पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सन्तो पुत्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. लिछमा पुत्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. प्रेम पुत्र सोना पुत्री स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर।
8. विक्रम पुत्र सोना पुत्री स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर।
9. ग्यारसी पत्नी मुकेश पुत्र सोना पुत्री स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर।
10. कार्तिक पुत्र मुकेश पुत्र सोना पुत्री स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 09/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 7.2470 हैक्ट भूमि जिसके पूर्व में वादी के पिता पन्नालाल खातेदार काश्तकार थे।

वादी के पिता पन्नालाल फौत हो चुके है तथा इनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एवं वादी की माता भूरी देवी के नाम यानि प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज हुयी थी एवं वादी की माता भूरी देवी पत्नी पन्नालाल भी फौत हो चुकी है तथा भूरी देवी की एक लड़की सोना देवी भी फौत हो चुकी है तथा इसके जायज वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 भानजे एवं भानजी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह एवं मोह रखती है [illegible] अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के [illegible] रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 135/133 की कुल 7.2470 हैक्ट भूमि में [illegible] एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक भूरी देवी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कलमजन करवाकर वादी वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 की तरफ से श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर नवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा चक राजासर खाता संख्या 135/133, मृत्यु प्रमाण पत्र मुकेश, भूरी, सोनादेवी, शपथ पत्र बाबत सदस्य सोना देवी, सदस्य प्रमाण पत्र पन्नालाल आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता भूरी देवी पत्नी पन्नालाल के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है भूरी देवी पत्नी पन्नालाल का देहान्त हो चुका है भूरी देवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो कि उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:39 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 135/133 की कुल 7.2470 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी की माता भूरी पत्नी पन्नालाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि वादी की माता भूरी देवी पत्नी पन्नालाल का देहान्त हो चुका है भूरी देवी पत्नी पन्नालाल के जायज वारिसान सजरा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की भूरी देवी के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक दादालाई भूमि होना साबित है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार भूरी देवी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 135/133 की कुल 7.2470 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं मृतक भूरी देवी पत्नी पन्नालाल का उक्त राजस्व रिकार्ड मे से नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –871/2023
अनवान : –

1. सुखराम पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. किशनलाल पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. शंकरलाल पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सन्तो पुत्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. लिछमा पुत्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. प्रेम पुत्र सोना पुत्री स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर।
8. विक्रम पुत्र सोना पुत्री स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर।
9. ग्यारसी पत्नी मुकेश पुत्र सोना पुत्री स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर।
10. कार्तिक पुत्र मुकेश पुत्र सोना पुत्री स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 871 सन 2023 निर्णय दिनांक – 09/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुबोध शर्मा तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 135/133 की कुल 7.2470 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं मृतक भूरी देवी पत्नी पन्नालाल का उक्त राजस्व रिकार्ड मे से नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:39 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर